


13.08.2022

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया जाने के प्रकरण आज पेश हुआ। पत्रावली में अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की उक्त प्रकरण में पक्षकारों में राजीनामा/समझौता हो चुका है। तथा उक्त प्रकरण में पक्षकारों में राजीनामा/समझौता हो जाने से कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

अतः पत्रावली नोट प्रेस में खारीज की जाती हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


अधीक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत